*ई–मेल
पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–03/ना०सु०–22–43/2025 240 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–09/11/26

विषयः– नगर निगम, पटना में कार्तिक छठ महापर्व, 2026 के अवसर पर छठव्रतियों एवं श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न घाटों पर मूलभूत सुविधाएँ तथा विधि व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में विशेष स्वच्छता अनुदान मद से कुल राशि ₹1200.00 लाख (बारह करोड़ रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

कार्तिक छठ महापर्व, 2026 के अवसर पर छठव्रतियों एवं श्रद्धालुओं को विभिन्न घाटों पर मूलभूत सुविधाएँ तथा अस्थायी नियंत्रण कक्ष निर्माण बैरिकेडिंग, वॉच टॉवर, चेंजिंग रूम, यात्री शेड, अस्थायी शौचालय, यूरिनल, सी०सी०टी०वी०, टेबुल, कुर्सी, ध्वनि विस्तारक यंत्र लाईट, जेनरेटर, फ्लैक्स की छपाई इत्यादि व्यवस्थाएँ नगर निगम, पटना द्वारा किया जाता है। इस हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना के पत्रांक–15628, दिनांक–27.09.2026 द्वारा नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत कार्तिक छठ महापर्व, 2026 के अवसर पर विभिन्न गंगा घाटों एवं तालाबों के किनारे अस्थाई छठ घाटों के निर्माण तथा श्रद्धालुओं को जन सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न घाटों पर 220 योजनाओं हेतु कुल ₹1859.22250 लाख मात्र की अधियाचना उपलब्ध करायी गई है।

2. उक्त के आलोक में नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में समीक्षोपरांत समिति द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ–3 में अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ–6 में अंकित राशि ₹1200.00 लाख (बारह करोड़ रू०) मात्र के अनुरूप स्वीकृति प्रदान करने की जाती है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	पी०एल० खाता	HOA संख्या	स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	नगर निगम, पटना	नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत कार्तिक छठ महापर्व, 2025 के अवसर पर विभिन्न गंगा घाटों एवं तालाबों के किनारे अस्थाई छठ घाटों के निर्माण तथा श्रद्धालुओं को जन सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न घाटों पर 191 योजनाओं का कार्य।	PTCPLA021	00-8448-00-102-0001-00-01	1200.00

3. उक्त स्वीकृत **राशि ₹1200.00 लाख (बारह करोड़ रू०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक– 236, दिनांक– 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।** *अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निकाय के*

संबंधित PL खाता संख्या तथा HOA में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

4. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

5. स्वीकृत कुल राशि ₹1200.00 लाख (बारह करोड़ रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 01–राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष– 191– नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष– 0124– विशेष स्वच्छता अनुदान विपत्र कोड–48-2217011910124, विषय शीर्ष 0124.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन से की जाएगी।

6. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–03/ना०सु०–22–43/2025 के पृष्ठ सं०–..... 22 /टि० पर दिनांक– 06/11/2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 23 /टि० पर दिनांक– 06/11/2026 को प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–03/ना०सु०–22–43/2025 240 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 07/11/26

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना /जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/11/26

सरकार के संयुक्त सचिव।